रजिस्टर्ड सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED No. D.(D.)-73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 5, 1976/ज्येष्ठ 15, 1898

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 5, 1976/JYAISTHA 15, 1898

SECRETARIAT LIBRARY No. .... Date .... GOVT OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 17 मई, 1976

सा०का०नि० 757.—केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंध राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) संशोधन पांचवां नियम, 1976 है।

(2) ये 1 जनवरी, 1973 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम 2 के उपनियम (1) में खण्ड (ख) में द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि सेवा के ऐसे सदस्य की दशा में जो 1 जनवरी, 1973 के पश्चात्‌वर्ती किसी तारीख से पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प प्रकट करता है या विद्यमान वेतनमान प्रतिधारित करता है और पुनरीक्षित वेतनमान में आए बिना सेवानिवृत्त हो जाता है, मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के अवधारण के प्रयोजनार्थ उपलब्धियों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(1) विद्यमान वेतमान में वेतन ;

(2) 31 दिसम्बर, 1972 को प्रवृत्त आदेशों के अधीन ऐसे वेतन पर यथा अनुज्ञेय और यथास्थिति, 31 दिसम्बर, 1972 और पुनरीक्षित वेतनमान में आने की तारीख के बीच की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तारीख तक सदस्य द्वारा प्राप्त किए गए महंगाई भत्ता और अन्तरिम सहायता :

परन्तु यह और भी कि 1 मई, 1973 के पश्चात् सरकार द्वारा मंजूर किए गए किसी महंगाई भत्ते को पूर्ववर्ती परन्तुक के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा"।

व्याख्यात्मक ज्ञापन :

सरकार ने यह निर्णय किया है कि सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं, प्रभावी होने की तारीख आदि से सम्बन्धित तृतीय

written test from the sweepers, farashes, chowkidars, etc. who do not possess the qualifications prescribed for direct recruitment to the post of peon but who possess elementary literacy and give proof of ability to read in Hindi and have put in five years' service in their respective cadres".

[No. A. 12034/4/76 Admn. I]
S. L. AHUJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 मई, 1976

सा० का० नि० 801.--संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी I पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जा सकेगा।

(2) *ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को* प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-I पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, कालम 12 में प्रविष्टियों के नीचे नोट के पैरा 2 में क्रम संख्या 1 के सम्मुख 'एक वर्ष' शब्दों के स्थान पर "आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1974 के लागू होने की तारीख से 2 वर्ष" शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[फा० सं० 5/10/76-बी० (ए०)]

New Delhi, the 7th May, 1976

G.S.R. 786.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, against Serial number 1 in paragraph (2) of the Note below the entries in Column 12, for the words "one year" the words, brackets and figures "two years from the date" of Commencement of the All India Radio (Class I posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1974" shall be substituted.

[F. No. 5/10/76-B(A)]

नई दिल्ली, 12 मई, 1976

सा० का० नि० 802.--संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-4 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

(1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी- 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-4 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में, (क) क्रम संख्या 10 के सामने,

(1) *कालम 2 के अन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर "हैल्पर" प्रविष्टि* प्रतिस्थापित की जायगी।

(2) कालम 4 के अन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर "210-4-250-द० रो०-5-270 रुपये" प्रविष्टि प्रति स्थापित की जायेगी;

(ख) क्रम संख्या 12 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियां लुप्त हो जायेंगी।

[संख्या 1/12/75-बी० (ए०)]
मोहन लाल टंडन, अवर सचिव

New Delh, the 12th May, 1976

G.S.R. 802.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class IV posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called All India Radio (Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class IV posts) Recruitment Rules, 1964,

(a) against serial No. 10,

(i) for the entry in column 2, the entry "Helper" shall be substituted;

(ii) for the entry in column 4, the entry "Rs. 210-4-250-EB-5-270" shall be substituted;

(b) serial No. 12 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 1/12/75-B(A)]
M. L. TANDON, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 मई, 1976

सा० का० नि० 803:--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, भूमि और विकास कार्यालय, विधि अधिकारी (कनिष्ठ) भर्ती नियम, 1973 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का नाम भूमि और विकास कार्यालय, विधि अधिकारी (कनिष्ठ) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भूमि और विकास कार्यालय, विधि अधिकारी (कनिष्ठ) भर्ती नियम, 1973 की अनुसूची में, स्तम्भ 7 में "आवश्यक" शीर्षक के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के अन्त में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:--

"अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है, यदि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।"

[सं० ए० 12018/4/71-एल० II (वाल II)]
एम० आर० निगम, अवर सचिव